न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 80/2022

1 प्रताप पुत्र नाथा।
2 अमरसिंह पुत्र नाथा।
3 दलीत पुत्र नाथा।
4 धर्मपाल पुत्र श्रीपाल।
5 भुजाराम पुत्र गोपाल।
6 शेरसिंह पुत्र श्रीपाल।
7 हरिसिंह पुत्र नाथा समस्त जाति जाट निवासीगण मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 उम्मेद सिंह पुत्र बीरबल।
2 महेन्द्र सिंह पुत्र कुरड़ा।
3 चन्द्राराम पुत्र श्योकरण।
4 लिक्ष्मण पुत्र श्योकरण।
5 दाताराम पुत्र गोपाल।
6 दिपिका पुत्री दिपचन्द।
7 विधा स्त्री रामसिंह।
8 मृतक सुनील कुमार पुत्र रामसिंह।
8/1 मन्जु स्त्री सुनील कुमार।
8/2 संगीता पुत्री सुनील कुमार।
8/3 विकास पुत्र सुनील कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

8/4 राजपाल पुत्र सुनील कुमार जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू नाबालिग जरिये संरक्षण मन्जू स्त्री सुनील कुमार जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

9 सुमन देवी स्त्री दीपचन्द जाति जाट निवासी मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

10 मुकेश सिंह पुत्र श्रवण सिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

11 रोहिताश सिंह पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी ढ़ाणी बाढ़ान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल निवासी मकान नम्बर 267 देवी नगर न्यू सांगानेर रोड़ सोडाला जयपुर।

12 बिमला देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी अरड़ावता तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

13 महेन्द्र सिंह पुत्र रामस्वरूप।

14 रामस्वरूप पुत्र बेगू।

15 सुमन देवी पत्नी सुमेर सिंह।

16 जयसिंह पुत्र गोविन्दा।

17 अमरसिंह पुत्र गोविन्दा।

18 इन्द्राज पुत्र गोविन्दा।

19 चन्दगीराम पुत्र झाबर।

20 महावीर पुत्र झाबर।

21 रोहिताश पुत्र झाबर।

22 बिमला देवी स्त्री हरीराम।

23 प्रमानन्द पुत्र हरीराम।

24 अजय पुत्र हरीराम समस्त जाति जाट निवासीगण मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

25 प्रमीला पुत्री हरीराम स्त्री अनूप जाति जाट निवासी जोधा का बास तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू।

26 सहीराम पुत्र रामनारायण।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

27 मूलचन्द पुत्र जीताराम।
28 मेहरचन्द पुत्र नाथा।
29 शेरसिंह पुत्र श्योकरण।
30 किताब कौर पत्नी रिछपाल।
31 कपील पुत्र रिछपाल।
32 राजेश पुत्र रिछपाल।
33 हरिसिंह पुत्र कुरड़ा।
34 रामेश्वर पुत्र कुरड़ा।
35 विधाधर पुत्र कुरड़ा।
36 सतवीर पुत्र कुरड़ा।
37 हवासिंह पुत्र कुरड़ा।
38 महेश पुत्र कुरड़ा।
39 मनीराम पुत्र कुरड़ा।
40 सुरेश पुत्र कुरड़ा समस्त जाति जाट निवासीगण मानोता जाटान तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।
41 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
42 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा जसरापुर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
43 बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबन्धक।
44 स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सुलताना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू जरिये शाखा प्रबन्धक।
45 भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक।
46 राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अपील खिलाफ निर्णय दिनांक 12.04.2022 बअदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खेतड़ी मुकदमा उनवानी उम्मेद सिंह बनाम अमर सिंह वगैरह मुकदमा नम्बर 79/2020 अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थिति :

1. श्री राजेश पूनियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री फूलचन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

<u>–निर्णय–</u>

दिनांकः– 26.3.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 79/2020 में पारित निर्णय दिनांक 12.04.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा नम्बर 135 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 138 रकबा 3.15 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 148 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 2.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 1.05 वाके ग्राम मानोता जाटान तहत तहसील खेतड़ी में स्थित है। उक्त जमीन में आने जाने के लिये खसरा नम्बर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे एवं खसरा नम्बर 143 व 887/140, खसरा नम्बर 139, खसरा नम्बर 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 10 फीट चौड़ाई के रास्ते हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन 251ए आर.टी.एक्ट 1955 को प्रार्थना पत्र पेश किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर * भू-प्रबन्ध

न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने खसरा नम्बर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे तथा खसरा नम्बर 143 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे एवं खसरा नम्बर 887/140 एवं खसरा नम्बर 139, खसरा नम्बर 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 138 तक 10 फिट चौड़ाई के रास्ते के बाबत विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित किया है। खसरा नम्बर 138 रकबा 3.15 हैक्टेयर में रेस्पोडेंट नम्बर 1 उम्मेद सिंह पुत्र बीरबल 3/8 हक हिस्से का सहखातेदार है। खसरा नम्बर 138 के पूर्वी दिशा में खसरा नम्बर 148 स्थित है। खसरा नम्बर 148 में रेस्पोडेंट नम्बर 1 उम्मेद सिंह 1/3 हक हिस्से का सहखातेदार है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 2 महेन्द्र सिंह का पिता कुरड़ा पुत्र नाथा 1/9 हक हिस्से का सहखातेदार है तथा रेस्पोडेंट नम्बर 4 लिछमण पुत्र श्योकरण एवं रेस्पोडेंट नम्बर 3 चन्दाराम पुत्र श्योकरण प्रत्येक 1/9 हक हिस्से के सहखातेदार है। जमीन हाल खसरा नम्बर 148 के पूर्व मे जमीन हाल खसरा नम्बर 149 व 150 स्थित है। जमीन हाल खसरा नम्बर 148,149 व 150 एक ही खाता की जमीन है जिसमें रेस्पोडेंट नम्बर 1 लगायत 4 खातेदार है। खसरा नम्बर 149 के उतर पूर्व में करीब 20–25 मीटर दूरी पर कटानी रास्ता मौजूद है जो ग्राम लोयल से मानोता जाटान जाने वाली सड़क से दक्षिण में गोचन भूमि खसरा नम्बर 166 में से खसरा नम्बर 147 के पूर्व में खसरा नम्बर 971/165 व खसरा नम्बर 969/155 में से कटानी रास्ता मौजुद है। जिसमें खसरा नम्बर 970/165 व 968/155 है उक्त रास्ता खसरा नम्बर 149 के नजदीक है। खसरा नम्बर 149 व 148 रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 सहखातेदार है। खसरा नम्बर 148 खसरा नम्बर 138 के नजदीक है। पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक ने फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 17.09.2021 में जानबुझकर खसरा नम्बर 147 के पूर्वी दिशा में स्थित व कटानी रास्ता को

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

जानबुझकर दर्शित नही किया है। मौका रिपोर्ट अपीलांट की अनुपस्थित में बनाई है जो विधि सम्मत नही है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेंट की खातेदारी भूमि ग्राम मानोता जाटान में स्थित हाल खाता संख्या 28 के खसरा नम्बर 135 रकबा 1.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 136 रकबा 1.09 हैक्टेयर ग्राम मानोता जाटान में स्थित है। हाल खाता संख्या 29 खसरा नम्बर 138 रकबा 3.05 एवं खाता संख्या 30 खसरा नम्बर 148 रकबा 1.60 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 149 रकबा 2.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.05 में आने जाने के लिये अपीलांट की खातेदारी भूमि ग्राम मानोता जाटान जो लोयल से मानोता जाटान जाने वाली सड़क से दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 144 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे एवं खसरा नम्बर 143,खसरा नम्बर 887/140, खसरा नम्बर 39, खसरा नम्बर 832/139 की पूर्वी सीमा के सहारे–सहारे 10 फीट के रास्ते की मांग की गई है। रेस्पोडेन्ट के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेन्ट को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है। विचारण न्यायालय ने विधि अनुसार मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 21.09.2021 के संलग्न नजरी नक्शा भू–अभिलेख निरीक्षक वृत जसरापुर में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। प्रस्तावित रास्ते (नजरी नक्शा में दर्शित) के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम दूरी का रास्ता पहुंच के लिए उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 138 में पहुंचने हेतु खसरा नम्बर 143, 144, 887/140 खसरा नम्बर 139 व खसरा नम्बर 832/139 में से प्रस्तावित (नजरी नक्शे में लाल स्याही अंकित मार्क–ए से बी) मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आने वाली भूमि का क्षेत्रफल 10 फुट चौड़ाई में 660 वर्गमीटर बनता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर(कैम्प झुन्झनूं)

है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 138 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन् का अभाव है। विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किये गये थे। अपीलांट द्वारा आदेश 09 नियम 07 के तहत आवेदन प्रस्तुत करने पर अपीलांट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिनांक 22.02.2022 को विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किया जाकर दिनांक 29.03.2022 को उभयपक्ष को सुनकर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मौका रिपोर्ट पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। मौका रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का अपीलांट द्वारा विचारण न्यायालय एवं अपील न्यायालय में किसी प्रकार का खण्डन प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि विरूद्ध नहीं माना जा सकता है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 26.3.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर